



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-04112024-258439
CG-AP-E-04112024-258439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 890]
No. 890]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2024/कार्तिक 13, 1946
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2024/KARTIKA 13, 1946

आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय
अधिसूचना

कडपा, 9 अक्टूबर, 2024

सं. 1020/एपीजीबी/पीएचआरडी/डीएफएस/2024.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21वां) की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक का निदेशक मंडल, प्रायोजक बैंक केनरा बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ परामर्श करने के बाद और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ एतद्वारा आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:

- (1) इन विनियमों को आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा.
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.
- आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 (इसके बाद इसे उक्त विनियम कहा जाएगा) के, विनियम 2 के, उप-विनियम (1) के, खंड (के) में, आंकड़े, अंक और शब्द "अप्रैल, 2018 का पहला दिन" के स्थान पर "नवंबर 1993 का पहला दिन" आंकड़े, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे.
- उक्त विनियमों में, विनियम 3 को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः, -
"3. अनुप्रयोग - (1) कोई भी कर्मचारी जो -

(क) 1 सितंबर, 1987 और 31 मार्च 2010 के मध्य बैंक की सेवा में था और **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक** (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 की अधिसूचना की तारीख से पहले सेवानिवृत्त या बर्खास्त या हटा दिया गया या सेवा की समाप्ति कर दी गई और आधिकारिक राजपत्र में **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक** (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 की अधिसूचना की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर रिफंड करता है या निधि का सदस्य बनता है और उसके द्वारा प्राप्त संपूर्ण अंतिम राशि (कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत भविष्य निधि में बैंक का योगदान और राशि की प्राप्ति की तारीख तक उस पर अर्जित ब्याज) को रिफंड कर देता है और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत उसके द्वारा प्राप्त आवधिक पेंशन, यदि कोई हो, तो आधिकारिक राजपत्र में **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक** (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 की अधिसूचना की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए आरोप्य, या अनारोप्य, किसी भी स्थिति में, ऐसी राशियों की प्राप्ति की तारीख से रिफंड की तारीख तक ऐसी राशियों पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

बशर्ते कि कोई कर्मचारी जिससे इस खंड के अनुसार राशि वापस करना अपेक्षित है, बैंक द्वारा उसको देय राशि में से इन राशियों को समायोजित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सकता है।

और, बशर्ते कि कोई कर्मचारी जो उक्त विनियमों के तहत पेंशन का विकल्प चुनने का पात्र था, लेकिन निर्धारित समय के भीतर उसने पेंशन का विकल्प नहीं चुना या चुना किंतु निर्धारित समय के भीतर धन वापस नहीं किया, तो उस कर्मचारी को, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत उसके द्वारा प्राप्त आवधिक पेंशन, यदि कोई हो, को वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) 1 सितंबर, 1987 और 31 मार्च 2010 के मध्य बैंक की सेवा में था और आधिकारिक राजपत्र में **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक** (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 की अधिसूचना की तारीख को या उसके बाद बैंक की सेवा में जारी रहता है, और निधि का एक सदस्य होता है या सदस्य बनता है और आधिकारिक राजपत्र में **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक** (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 की अधिसूचना की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, विनियम 4 में गठित निधि में बैंक के पूरे योगदान को व उस पर अर्जित ब्याज के साथ अंतरित कर जमा कर देता है या करवाता है तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उसके द्वारा प्राप्त और आधिकारिक राजपत्र में **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक** (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 की अधिसूचना की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए आरोपित पेंशन का भाग, यदि कोई हो, को वापस कर देता है।

(ग) 1 सितंबर, 1987 और 31 मार्च 2010 के मध्य बैंक की सेवा में था और अधिनियम की धारा 23 ए की उप-धारा (3) के खंड (बी) के तहत जिसने एक विकल्प का प्रयोग किया था या उक्त विनियमों की अधिसूचना से पहले इस्तीफा दे दिया था, दोनों ही मामलों में, 20 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद और उचित नोटिस देकर, निधि का सदस्य बनता है और आधिकारिक राजपत्र में **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक** (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 की अधिसूचना की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, उसके द्वारा प्राप्त संपूर्ण अंतिम राशि (कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत व भविष्य निधि में बैंक का योगदान और राशि की प्राप्ति की तारीख तक उस पर अर्जित ब्याज) को रिफंड कर देता है और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत उसके द्वारा प्राप्त आवधिक पेंशन, यदि कोई हो, तो आधिकारिक राजपत्र में **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक** (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 की अधिसूचना की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए आरोप्य, या अनारोप्य, किसी भी स्थिति में, ऐसी राशियों की प्राप्ति की तारीख से रिफंड की तारीख तक ऐसी राशियों पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

बशर्ते कि एक कर्मचारी, जिससे इस खंड के तहत राशि वापस करना अपेक्षित है, बैंक द्वारा उसको देय राशि में से इन राशियों को समायोजित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के खंड (क) और (ग) के तहत शामिल किया गया कर्मचारी का परिवार इन विनियमों के तहत पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा, जब ऐसे दिवंगत कर्मचारी का परिवार आधिकारिक राजपत्र में **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक** (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 की अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर, दिवंगत कर्मचारी द्वारा या यथास्थिति परिवार द्वारा प्राप्त पूरी अंतिम राशि, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत भविष्य निधि में बैंक का योगदान और दिवंगत कर्मचारी या यथास्थिति दिवंगत कर्मचारी के परिवार द्वारा राशि की प्राप्ति की तारीख तक उस पर अर्जित ब्याज और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी या दिवंगत कर्मचारी के परिवार द्वारा प्राप्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन, यदि कोई हो, को रिफंड कर दिया हो या रिफंड करता हो, किंतु दोनों मामलों में प्राप्ति की तारीख से वापसी की तारीख तक ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

बशर्ते कि दिवंगत कर्मचारी का परिवार जिससे इस खंड के तहत राशि वापस करना अपेक्षित है, बैंक द्वारा उसको देय राशि में से इन राशियों को समायोजित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सकता है।

(3) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, जो कर्मचारी 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल हुआ है, उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

4. उक्त विनियमों के विनियम 20 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"बशर्ते कि विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (सी) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का सेवाकाल समपहृत नहीं होगा।"

5. उक्त विनियमों के विनियम 32 में निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"कतिपय कर्मचारियों के संबंध में पेंशन या पारिवारिक पेंशन का भुगतान, -

(1) वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 1987 और 31 अक्टूबर 1993 के मध्य बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, वे प्रभावी तारीख से पेंशन के लिए पात्र होंगे।

(2) दिवंगत कर्मचारी, जो 1 सितंबर 1987 और 31 अक्टूबर 1993 के मध्य सेवा में था और 31 अक्टूबर 1993 से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, उसका परिवार प्रभावी तारीख से पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए पात्र होगा।

6. उक्त विनियमों के विनियम 50 में निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"जिस तारीख से पेंशन देय होती है -

(1) जिस कर्मचारी पर विनियम 32 के उप-विनियम (1), विनियम 41 या 44 के उपबंध लागू होते हैं, को छोड़कर, **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक** (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 के तहत निर्धारित समय के भीतर विनियम 3 के उप-विनियम (1) के तहत निर्दिष्ट पूरी राशि को रिफंड कर देने या रिफंड किए जाने या समायोजन हेतु प्राधिकृत करने पर, पारिवारिक पेंशन को छोड़कर, उस तारीख की अगली तारीख से पेंशन देय हो जाएगी जिस तारीख को कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या, यथास्थिति, पदत्याग करता है या अधिनियम की धारा 23 क की उपधारा (3) के खंड (ख) के तहत अंतरिती बैंक में शामिल होने का विकल्प नहीं चुनता है।

(2) जिस कर्मचारी पर विनियम 32 के उप-विनियम (1), विनियम 41 या 44 के उपबंध लागू होते हैं, को छोड़कर, **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक** (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 के तहत निर्धारित समय के भीतर विनियम 3 के उप-विनियम (2) के तहत निर्दिष्ट पूरी राशि को रिफंड कर देने या रिफंड किए जाने या समायोजन हेतु प्राधिकृत करने पर, उस तारीख की अगली तारीख से पारिवारिक पेंशन देय हो जाएगी जिस तारीख को कर्मचारी की मृत्यु होती है।

(3) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी कर्मचारी या दिवंगत कर्मचारी के परिवार के मामले में, जो उक्त विनियमों के तहत यथास्थिति पेंशन या पारिवारिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए पात्र था, उसने विकल्प नहीं चुना या विकल्प तो चुना किंतु पैसा रिफंड नहीं किया किंतु अब वह विनियमन (3) के उप-विनियम (1) के खंड (क) के तहत यथास्थिति, रिफंड करता है या समायोजन हेतु प्राधिकृत करता है तो वह विनियम 3 के उप-विनियम (2) के तहत **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक** (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 की अधिसूचना पर या उसके बाद, उप-विनियम (1) या विनियम 3 के खंड (ग) के तहत या विनियम 3 के उप-विनियम (2) के तहत सेवानिवृत्ति या इस्तीफे की तारीख या मृत्यु, जो भी बाद में हो, से यथास्थिति रिफंड या समायोजन की तारीख से यथास्थिति पेंशन या पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा।

सत्यप्रकाश सिंह, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./651/2024-25]

नोट : मूल अधिसूचना सं. 481 दिनांक 03 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, के माध्यम से प्रकाशित की गई थी, दिनांक 11 दिसंबर, 2018.

ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK**Head Office****NOTIFICATION**

Kadapa, the 9th October, 2024

No.1020/APGB/PHRD/DFS/2024.—In exercise of the powers conferred by Section 30 read with sub-section (1) of section 17 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors of **Andhra Pragathi Grameena Bank**, after consultation with **Canara Bank** being the Sponsor Bank, and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the **Andhra Pragathi Grameena Bank (Employees’)** Pension Regulations, 2018, namely:

1. (1) THESE REGULATIONS MAY BE CALLED **ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK (EMPLOYEES’) PENSION (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the **Andhra Pragathi Grameena Bank (Employees’)** Pension Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (k), for the figures, letters and words “1st day of April, 2018”, the figures, letters and words “1st day of November, 1993” shall be substituted.

3. In regulation 3 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“3. Application.—(1) Any employee who –

(a) was in the service of the Bank between the 1st September, 1987 and the 31st March, 2010 and retired or dismissed or removed or terminated from service before the date of notification of **Andhra Pragathi Grameena Bank (Employees’)** Pension (Amendment) Regulations, 2024 and refunded or becomes a member of the Fund and refund within fifteen days from the date of notification of **Andhra Pragathi Grameena Bank (Employees’)** Pension (Amendment) Regulations, 2024 in the Official Gazette, the entire final amounts received by him (the corpus comprising of Bank’s contribution to provident fund under the Employees’ Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt by him of the amount) and the periodic pension, if any, received by him under the Employees’ Pension Scheme, 1995 attributable to any period before date of notification of **Andhra Pragathi Grameena Bank (Employees’)** Pension (Amendment) Regulations, 2024 in the Official Gazette but without, in either case, requiring to pay interest on such amounts from the date of receipt of such amounts to the date of refund:

Provided that an employee who is required to refund the amounts as per this clause may authorise the Bank to adjust these amounts from the amounts payable by the Bank to the employee:

Provided further that an employee who was eligible to opt for pension under the said regulations but did not opt within the stipulated time or having opted not refunded the money within the stipulated time, the periodic pension, if any, received by him under the Employees’ Pension Scheme, 1995, need not be refunded.

(b) was in the service of the Bank between the 1st September, 1987 and the 31st March, 2010 and continue to be in the service of the Bank on or after the date of notification of **Andhra Pragathi Grameena Bank (Employees’)** Pension (Amendment) Regulations, 2024 in the Official Gazette, and a member or becomes member of the Fund and caused or cause to transfer the entire contribution of the Bank along with the interest accrued thereon, within fifteen days from the date of notification of **Andhra Pragathi Grameena Bank (Employees’)** Pension (Amendment) Regulations, 2024 in the Official Gazette, to the credit of the Fund constituted in regulation 4 and refund the portion of pension, if any, received by him under Employees’ Pension Scheme 1995, and attributable to any period before date of notification of **Andhra Pragathi Grameena Bank (Employees’)** Pension (Amendment) Regulations, 2024 in the Official Gazette.

(c) was in the service of the Bank between the 1st September, 1987 and the 31st March, 2010 and exercised an option under clause (b) of sub-section (3) of section 23A of the Act or resigned before the notification of the said Regulations, in either case, after having completed twenty years of qualifying service and by giving proper notice, shall become member of the Fund and refund within fifteen days from the date of notification of **Andhra Pragathi Grameena Bank (Employees’)** Pension (Amendment) Regulations, 2024 in the Official Gazette, the entire final amounts received by him (the corpus comprising of Bank’s contribution to provident fund under the Employees’ Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt by him of the amount) and periodic pension, if any, received by him under the Employees’ Pension Scheme, 1995 attributable to any period before date of notification of **Andhra Pragathi Grameena Bank (Employees’)** Pension (Amendment) Regulations, 2024 in the Official Gazette but without, in either case, requiring to pay interest on such amounts from the date of receipt of such amounts to the date of refund:

Provided that an employee, who is required to refund the amounts, under this clause may authorise the Bank to adjust these amounts from the amounts payable by the Bank to the employee.

(2) The family of the employee covered under clauses (a) and (c) of sub-regulation (1), shall be entitled to family pension under these regulations when the family of such deceased employee refunded or refunds within thirty days from the date of notification of **Andhra Pragathi Grameena Bank (Employees’)** Pension (Amendment) Regulations, 2024 in the Official Gazette, the entire final amounts received by the deceased

employee or as the case may be the family, the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995, and interest accrued thereon till the date of receipt of the amount by the deceased employee or, as the case may be, the family of a deceased employee and pension or family pension, if any, received by the employee or the family of the deceased employee under the Employees' Pension Scheme, 1995, but in either case without requiring to pay interest from the date of receipt to the date of refund.

Provided that a family of the deceased employee, who is required to refund the amounts under this clause may authorise the Bank to adjust these amounts from the amounts payable by the Bank to the employee.

(3) Notwithstanding anything contained in this regulation, any employee who joined the service of the Bank on or after the 1st April, 2010 shall be covered by the National Pension System”.

4. In regulation 20 of the said regulations, after sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that there would no forfeiture of service for employees covered under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 3”.

5. In regulation 32 of the said regulations, the following regulation shall be substituted namely:-

“Payment of pension or family pension in respect of certain employees.- (1) Employees who have retired from the service of the Bank between the 1st September, 1987 and the 31st October, 1993 shall be eligible for pension from the effective date.

(2) The family of a deceased employee, who was in service between the 1st September, 1987 and the 31st October, 1993 and died before the 31st October, 1993 shall be eligible for payment of family pension from the effective date”.

6. In regulation 50 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“Date from which pension becomes payable.- (1) Except in the case of an employee to whom the provisions of sub-regulation (1) of regulations 32, or 41, or 44 apply a pension other than the family pension shall become payable from the date following the date on which an employee retires or, as the case may be, resigns or opts not to join the transferee bank under clause (b) of sub-section (3) of section 23A of the Act on refund or refunding or authorising adjustment of the entire amounts specified under sub-regulation (1) of regulation 3 within the time stipulated under **Andhra Pragathi Grameena Bank** (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(2) Except in the case of an employee to whom the provisions of sub-regulation (1) of regulations 32, or 41, or 44 apply, family pension shall become payable from the date following the date of death of the employee, on refunding or authorising adjustment of the entire amounts specified under sub-regulation (2) of regulation 3 within the time stipulated under **Andhra Pragathi Grameena Bank** (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(3) Notwithstanding anything contained in these regulations, in case of an employee, or as the case may be, family of the deceased employee who was eligible to opt for pension, or as the case may be, family pension under the said regulations but did not opt or opted but did not refund the money, but refunds or authorise adjustment of money under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation (3), or as the case may be, under sub-regulation (2) of regulation 3 on or after notification of **Andhra Pragathi Grameena Bank** (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024 shall be entitled for pension, family pension, or as the case may be, from date of refund or adjustment under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 3, or as the case may be, sub-regulation (2) of regulation 3, or the date of retirement or resignation, or death, as the case may be, whichever is later.”

SATYAPRAKASH SINGH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./651/2024-25]

Note: The principal notification was published *vide* number 481 dated the 03rd November, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, date the 11th December, 2018.